

8.1.1 कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक 01.06.2018 में वर्णित टी.एस.पी. एरिया में संशोधन के आधार पर एवं भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19.05.2018 में वर्णित टी.एस.पी. एरिया के अन्तर्गत संशोधन के आधार पर राज्य की सभी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के 8 जिले यथा बांसवाड़ा, डूगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली एवं सिरोही जिले के अधिसूचित भाग को सम्मिलित करते हुए इन क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के युवाओं को पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में निर्धारित 12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत आरक्षण को सम्पूर्ण राज्य में स्थित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा स्वीकृत प्रवेश स्थानों पर लागू होगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिये निर्धारित 12 प्रतिशत की सीमा के अध्याधीन ही देय होगा तथा प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे।

8.2 Category - B :भूत पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों,सैनिकों के आश्रितों के लिये आरक्षण :

8.2.1 राजस्थान सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक प.1(47)त.शि./2007 दिनांक 18.03.08 के क्रम में रक्षा कार्मिकों के आश्रितों हेतु 05 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण (Horizontal Reservation)का प्रावधान किया गया है।

आरक्षण प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी परिशिष्ट-IV में दिये गये प्रारूप में आवश्यक प्रमाण पत्र एवं Discharge certificate and Pension Payment Order के आवश्यक 2-3 मुख पृष्ठों की स्कैन कॉपी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय Discharge certificate and Pension Payment Order की मूल एवं इसकी एक स्व-प्रमाणित छाया प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.6(1)/2017/D(Res.II) Dated May 21, 2018 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों/सैनिकों के आश्रितों को निम्नानुसार आरक्षण में वरियता प्रदान की जायेगी।

Priority I : Widows / Wards of Defence Personnel killed in action.

Priority II : Wards of disabled in action and boarded out from service.

**Priority III : Widows/Wards of Defence personnel who died while in service
with death attributable to military service.**

**Priority IV : Wards of disabled in service and boarded out with disability attributable
to military service.**

**Priority V :Wards of Ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt
of Gallantry Awards :**

- i. Param Vir Chakra
- ii. Ashok Chakra
- iii. MahaVir Chakra
- iv. Kirti Chakra
- v. Vir Chakra
- vi. Shaurya Chakra
- vii. Sena, Nau Sena, Vayu Sena Medal
- viii. Mention-in-Despatches.

Priority VI :Wards of Ex-Servicemen

Priority VII : Wives of :

- i) defence personnel disabled in action and boarded out from service.
- ii) defence personnel disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.
- iii) ex-servicemen and service personnel who are in receipt of Gallantry Awards.

Priority VIII : Wards of Serving Personnel.

Priority IX : Wives of Serving Personnel.

- 8.2.2 The domicile requirement for the wards of the Defence personnel from the State of Rajasthan but serving in other State is waived off. For wards of Defence personnel from other States but serving in the State of Rajasthan, the domicile condition is waived off to enable them to be selected in general quota. However, they would not be eligible for the above mentioned concessions.
- 8.2.3 50% of the reserved seats will be earmarked for the girls. In case of non-utilisation by girls, the unutilized vacancies would revert back to the boys' category.
- 8.2.4 बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. व अन्य पुलिसकर्मियों की सन्तानों के लिये आरक्षण नहीं है। जनरल रिजर्व इन्जीनियरिंग फोर्स को सैनिक बल माना जायेगा।
- 8.3 **Category – C :** निशक्त:जन के लिये आरक्षण:
- 8.3.1 राज्य के सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में निःशक्त अभ्यर्थियों (PH) के उपलब्ध होने पर उनको प्रवेश क्षमता के चार (04) प्रतिशत स्थानों पर योग्यता क्रमांक के आधार पर दिये जायेगे। ये स्थान जिस श्रेणी का अभ्यर्थी है उसी श्रेणी के प्रवेश स्थानों में से क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अनुसार भरे जायेंगे।
- 8.3.2 उक्त आरक्षण का लाभ वे समस्त निःशक्तजन ले सकेंगे जो पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण की अर्हताएं भी पूरी करते हों। निःशक्त अभ्यर्थी पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण की अर्हताएं पूरी करता है अथवा नहीं, तथा वह किस ब्रान्च के योग्य है, इसका निर्णय संस्था स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। प्रवेश के संबंध में संयोजक, प्रवेश कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- 8.4 **Category - D:** विधवा एवं तलाक शुदा महिला के आरक्षण के प्रावधान:-
निर्धारित महिला अभ्यर्थियों के स्थानों में से 50 प्रतिशत स्थान विधवा और तलाक शुदा महिलाओं से भरे जायेंगे, जिनके उपलब्ध न होनेपर ये स्थान उसी वर्ग में से अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे। इस हेतु शपथ पत्र प्रारूप परिशिष्ट-X (जो लागू न हो उसे काटा जावें) आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 8.5 **Category - E:** एकल महिला के बच्चों/आश्रितों के लिये आरक्षण के प्रावधान:-
राज्य सरकार द्वारा एकल महिला (अर्थात् विधवा, परित्यक्ता, तलाक शुदा, 35 वर्ष से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिला) के बच्चों/आश्रितों के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। यह आरक्षण क्षैतिज होगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-X पर उपलब्ध है।
- 8.6 पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्य (Supernumerary) स्थानों पर प्रवेश के प्रावधान :
8.6.1 कश्मीरी विस्थापितों/ कश्मीरी पंडित/ कश्मीरी हिन्दु परिवार (अविस्थापित) के लिये प्रवेश स्थान

-
- 21.16.2 द्वितीय वर्ष में ब्रांच परिवर्तन एवं अन्य संस्था में स्थानान्तरण दोनों साथ-साथ नहीं होगे।
- 21.16.3 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में द्वितीय/तृतीय वर्ष में राज्य सरकार की नीति के अनुसार स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।
- 22. छात्रावास की सुविधा एवं शुल्क :**
- 22.1 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय यथा जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर व श्रीगंगानगर एवं महिला पॉलिटेक्निक अजमेर व बीकानेर में विद्यार्थियों हेतु छात्रावास की सीमित सुविधा उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 18 सह-शिक्षा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में भी छात्राओं हेतु अलग से छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है।
- 22.2 छात्रावास में प्रवेश हेतु सम्बन्धित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में उपस्थिति के समय, प्रधानाचार्य द्वारा आवंटन संबंधी कार्यवाही की जावेगी एवं प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को सारणी-3 में दिये गये शुल्क की पहली किश्त जमा करानी होगी। द्वितीय किश्त प्रधानाचार्य द्वारा सूचित तिथियों को जमा करानी होगी।
- 22.3 छात्रावास का अवधान द्रव्य व मैस अग्रिम राशि के अतिरिक्त जमा कराई गई शुल्क की राशि वापस नहीं लौटायी जायेगी।
- 22.4 निजी एवं निजी सहभागिता योजना अन्तर्गत स्थापित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्रावास सुविधा की उपलब्धता व छात्रावास शुल्क के संबंध में संबंधित संस्था से सम्पर्क करें।
-

सारणी-3 : छात्रावास शुल्क

क्र.सं.	मद	राजकीय पॉलिटेक्निक संरथान	
		प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त
1	2	3	4
1.	कमरे का किराया	(क) राजकीय खाता	
		01 सीटेड	1600
		02 सीटेड	1000
		03 सीटेड	600
		04 सीटेड	—
2.	छात्रावास का अवधान द्रव्य	(ख) अराजकीय खाता	
		2000	—
3.	छात्रावास मैस खर्च अग्रिम धन	1500	—
4.	छात्रावास मैस सिक्यूरिटी	—	—
5.	पानी के खर्च का शुल्क	*	*
6.	बिजली के खर्च का शुल्क	*	*
7.	सामान्य कोष्ठ शुल्क	500	500
8.	उपकरण व बर्तनों की मरम्मत एवं खरीद शुल्क	800	800
9.	कॉमन रूम (यदि उपलब्ध हो तो)	300	300
10.	वार्डन एवं वार्चमेन सुविधा शुल्क	500	500

*बिजली व पानी का शुल्क छात्रावास में स्थित मीटर के आधार पर बिल की राशि को सभी छात्रों में समान रूप से बांटकर वसूल किया जायेगा।

नोट:

उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है। अतः जमा कराई जाने वाली फीस व छात्रावास सुविधा के सम्बन्ध में अन्तिम सूचना संबंधित प्रधानाचार्य से प्राप्त करें।

